

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स जेल रोड, किसान भवन भोपाल.

क्र./बोर्ड/यो./गै.तक./विविध/35पार्ट1/ 20-21/५१५ भोपाल दिनांक ७/12/2020  
प्रति,


संयुक्त संचालक/उपसंचालक,  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
आंचलिक कार्यालय-.....स.प्र.राज्य.....

विषय :- कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण में कृषकों को कृषि उपज विक्रय के संबंध में।

00000


विषयांतर्गत लेख है कि मण्डी प्रांगण में कृषक अपनी कृषि उपज का विक्रय करने आते हैं, उनके स्वागत के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जा रहे हैं:-

1. मण्डी प्रांगण में कृषक अपनी कृषि उपज विक्रय हेतु आते हैं, उनका प्रवेश द्वार पर भारतीय परम्परा अनुसार स्वागत करें।
2. मण्डी प्रांगण में कृषकों के विश्राम हेतु कृषक विश्रामगृह की सुविधा उपलब्ध हो, प्रवेश द्वार पर विश्रामगृह की सुविधा उपलब्ध है बोर्ड लगावे।
3. मण्डी प्रांगण में कृषकों के लिये को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करावे।
4. मण्डी प्रांगण में संचालित कृषक भोजनालय में कृषको को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

  
प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल .

क्र./बोर्ड/यो./गै.तक./विविध/35पार्ट1/ 20-21/५१५ भोपाल दिनांक ७/12/2020  
प्रतिलिपि:-

- 1 निज सहायक माननीय मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म0प्र0 भोपाल की ओर।
- 2 सचिव कृषि उपज मण्डी समिति समस्त .....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल .